

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: २-५- 2013

विषय— मैं एग्रो गोल्डविन एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज को ग्राम नया गांव चन्दनपुर, तहसील कालाढ़ुंगी, जिला नैनीताल में एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज की स्थापना हेतु शासनादेश सं0-21/XVIII(II)/2011-1(72)/09 दि0-9.9.2011 द्वारा दी गई कुल 0.253 हैं भूमि क्य की अनुमति के क्रम में उक्त भूमि के क्य हेतु अंतिम रूप से छः माह का समय प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-21/XVIII(II)/2011-1(72)/2009 दि0-9.9.2011 एवं श्री स्वर्णजीत सिंह, 120 बी, सिंगल स्टोरी, रमेश नगर, नई दिल्ली-11005 के प्रार्थना पत्र दि0-3.8.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मैं एग्रो गोल्डविन एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज को ग्राम नया गांव चन्दनपुर, तहसील कालाढ़ुंगी, जिला नैनीताल में एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज की स्थापना हेतु उक्त शासनादेश दि0-9.9.2011 द्वारा स्वीकृत कुल 0.253 हैं भूमि क्य किये जाने हेतु, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010 विषयक अधिसूचना सं0-95/18(2)/2010 दि0-11.1.2010 के नियम 116 ट के उपबन्ध के अधीन इस शासनादेश के निर्गत किये जाने की तिथि से अंतिम रूप से छः माह का समय प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

2— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही एवं शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ०प०सं0+३०५ सम्दिनांकित 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4— आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 5— श्री स्वर्णजीत सिंह, 120 बी, सिंगल स्टोरी, रमेश नगर, नई दिल्ली-11005
- 6— निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

2/
(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २२ अप्रैल, 2013

विषय— मैं उत्तर शुगर मिल्स प्राप्लिं को जनपद हरिद्वार के ग्राम अहमदपुर में फ्रुट फार्म एवं बेसिस इन्डस्ट्रीज की स्थापना हेतु कुल 6.3910 हैं भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश सं-2978/XVIII(II)/2011 दि-24.11.2011 के क्रम में अवशेष 2.597 हैं भूमि के क्य हेतु दो माह का समय प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं-2978/XVIII(II)/2011 एवं अधिकृत हस्ताक्षरी, मैं उत्तर शुगर मिल्स लिं, ग्राम लिब्बरहड़ी, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के प्रार्थना पत्र दि-22.5.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मैं उत्तर शुगर मिल्स प्राप्लिं को जनपद हरिद्वार के ग्राम अहमदपुर में फ्रुट फार्म एवं बेसिस इन्डस्ट्रीज की स्थापना हेतु कुल 6.3910 हैं भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक उक्त शासनादेश दि-24.11.2011 के क्रम में अवशेष 2.597 हैं भूमि के क्य हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010 विषयक अधिसूचना सं-95/18(2)/2010 दि-11.1.2010 के नियम 116 ट के उपबन्ध के अधीन इस शासनादेश के निर्गत किये जाने की तिथि से दो माह का समय प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

2— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही एवं शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीयः

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृष्ठ सं-1305/सम्बिन्दित 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6— निदेशक, उद्योग इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
- 7— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा-2, चू कैन्ट रोड, सिड्कुल, देहरादून।
- 8— अधिकृत हस्ताक्षरी, मैं उत्तर शुगर मिल्स लिं, ग्राम लिब्बरहड़ी, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार।
- 9— निदेशक एनोआईसी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग—2

देहरादून: दिनांक: 15 अप्रैल, 2013

विषय—आयुष बायोटेक प्राइलि०, कानपुर को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम किशनपुर, जमालपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार में शासनादेश दिनांक—24.02.2012 द्वारा प्रदान की गयी कुल 1.2250 है० भूमि क्रय हेतु समय विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, आयुष बायोटेक प्राइलि० कानपुर के आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2012 एवं शासनादेश संख्या—439 / XVIII(2) / 2012 दिनांक 24.02.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष बायोटेक प्राइलि०, कानपुर को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम किशनपुर जमालपुर, परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में उक्त शासनादेश दिनांक 24.02.2012 द्वारा प्रदान की गई कुल 1.2250 है० भूमि क्रय की अनुमति की वैधता अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010 दिनांक—11.01.2010 के नियम 116-ट के उपबन्ध के अधीन इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से ४ माह के लिए बढ़ाई जाती है।

2 इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहें तथा उक्त शासनादेश को इस सीमा तक ही संशोधित रामज्ञा जाये।

3 अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या—1288(1) / XVIII(II) / 2013 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2 सचिव, श्रम एवं रोवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3 आयुक्ता एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4 आयुक्ता, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5 प्रबन्ध निदेशक, आयुष बायोटेक प्राइलि०, 117 / एच-2 / 112 पॉण्डुनगर कानपुर (उत्तर प्रदेश)
- 6 निदेशक, एनोआई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Zai
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: १-५-२०१३

विषय—ए०वी०एस० डैकोर प्राठलि० को औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्राम धौलाखेड़ा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में कुल 0.189 है० भूमि के उपयोग की अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-360/XVIII(II)/2009-1(33)/2008 दि०-
16.02.2009 एवं शासनादेश संख्या-2070/XVIII(II)/2011-1(33)/2008 दिनांक-
15.11.2011 तथा अधिकृत हस्ताक्षरी, ए०वी०एस० डैकोर प्राठलि० नई दिल्ली के पत्र
दिनांक 09.10.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए०वी०एस० डैकोर
प्राठलि० द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्राम धौलाखेड़ा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल
में शासन की अनुगति से क्य की गई कुल 0.189 है० भूमि के विनिर्दिष्ट प्रयोजन पूर्ण
किये जाने हेतु निर्धारित अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि
व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपन्तरण आदेश, 2001) (संशोधन)
अधिनियम, 2003 दिनांक 15.01.2004 की धारा-154 की उपधारा-(4)(3)(ख) के उपबन्ध
के अधीन, शासनादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष हेतु बढ़ायी जाती है।

2— अतः इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से
शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या-०३(1)/XVIII(II)/2013 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—गिरिलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुका एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुका, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. अधिकृत हस्ताक्षरी, ए०वी०एस० डैकोर प्राठलि०, कार्यालय 33 वर्च रोड, जंगपुरा
गोगल, निकट गुथूठ फाईनेन्स, नई दिल्ली।
5. गुरु कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2, न्यू कैन्ट रोड, सिल्कुल, देहरादून।
6. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
7. मार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सतोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: १० जनवरी, 2012
विषय—डी०एस० होटल एण्ड रिसोर्ट (इण्डिया लि०) को ग्राम ढिकुली, तहसील रामनगर में होटल एवं रिसोर्ट की स्थापना हेतु क्य की गई भूमि के उपयोग की अवधि में विस्तार के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशक, डी०एस० होटल एण्ड रिसोर्ट (इण्डिया लि०), नई दिल्ली के प्रार्थना पत्र दि०-११.१.२०११ के संदर्भ में एवं शासनादेश सं०-३३३०/१८(२)/२००९, शासनादेश सं०-११३ भूक्य/१८(२)/२००६ दि०-३.३.२००८ के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, डी०एस० होटल एण्ड रिसोर्ट (इण्डिया लि०) को ग्राम ढिकुली, तहसील रामनगर में होटल एवं रिसोर्ट की स्थापना हेतु क्य की गई भूमि की उपयोग अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक-१५.०१.२००४ की धारा १५४ की उप धारा-(४)(३)(ख) के उपबन्ध के अधीन, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से १ वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस संबंध में इकाई द्वारा अब तक हुए निर्माण की प्रगति से संबंधित सभी विवरण शासन को तत्काल उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक तीन माह में प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा एवं यदि समयान्तर्गत एवं अपेक्षित प्रगति नहीं होती है, तो इस संबंध में संगत नियमों के अनुरूप कठोर कार्यवाही की जाएगी। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

२— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

प०प०सं०-१०६/समदिनांकित २०११

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- ४— आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- ५— श्री अतुल जैन, निदेशक डी०एस० होटल एण्ड रिसोर्ट (इण्डिया लि०), १७११ एस०पी० मुखर्जी मार्ग, दिल्ली।
- ६— निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- ७— प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
- ८— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: २२ फरवरी, 2012

विषय—मैं पौन्था रिसोर्ट प्राप्ति, नई दिल्ली को तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल में होलिडे होम एवं स्पॉर्ट की स्थापना हेतु शासनादेश दि-०-११.४.२०११ द्वारा दी गई भूमि क्य की अनुमति के अवधि विस्तार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं-८८१/१८(२)/२०११ दि-०-११.४.२०११ एवं निदेशक, पौन्था रिसोर्ट प्राप्ति, नई दिल्ली के प्रार्थना पत्र दि-०-२८.९.२०११ के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मैं पौन्था रिसोर्ट प्राप्ति, नई दिल्ली को तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल में होलिडे होम एवं स्पॉर्ट की स्थापना हेतु उक्त शासनादेश दि-०-११.४.२०११ द्वारा दी गई ९.७३२ है० भूमि क्य की अनुमति की वैधता अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मिंदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२) (संशोधन) नियमावली, २०१० विषयक अधिसूचना सं-९५/१८(२)/२०१० दि-०-११.१.२०१० के नियम ११६ ट के उपबन्ध के अधीन, अग्रेत्तर ६ माह बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

२— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

प०प०सं-५०२ / सम्दिनांकित २०१२

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- १— प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- ४— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- ५— श्री देशराज बहल, पुत्र श्री आर०एल० बहल, निदेशक, पौन्था रिसोर्ट प्राप्ति, सी ४ व ५, प्रथम तल, सी ब्लॉक मार्केट, वसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५७
- ६— निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- ७— प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
- ८— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सन्तोष बंडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: / । मार्च, 2012

विषय—मैं ० ऋषिधाम फारेस्ट रिट्रीट प्रा० लि० गुडगांव को ग्राम बड़कोट माफी, परगना परवादून, जिला देहरादून में पर्यटन प्रयोजनार्थ कुल ८.६९४ है० भूमि क्रय हेतु दी गई अनुमति के कम में प्रश्नगत भूमि की उपयोग अवधि विस्तार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-९७ भूक्रय/१८(१)/२००६ दि०-१३.५.२००८ एवं शासनादेश सं०-५७५/१८(२)/२००९ दि०-२४.३.२००९ के कम में एवं अधिकृत हस्ताक्षरी, मैं० ऋषिधाम फारेस्ट रिट्रीट प्रा० लि०, गुडगांव के प्रार्थना पत्र दि०-२६.४.२०१० के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मैं० ऋषिधाम फारेस्ट रिट्रीट प्रा० लि० गुडगांव को ग्राम बड़कोट माफी, परगना परवादून, जिला देहरादून में पर्यटन प्रयोजनार्थ कुल ८.६९४ है० भूमि क्रय हेतु दी गई अनुमति के कम में प्रश्नगत भूमि की उपयोग अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मिंदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ की धारा १५४ की उप धारा-(४)(३)(ख) के उपबन्ध के अधीन, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

२— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ००१०सं०-६२९ / सम्दिनांकित २०१२

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- १— प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- ५— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- ६— निदेशक, मैं० ऋषिधाम फारेस्ट रिट्रीट प्रा० लि०, ५०० बी०, वेवर्ली पार्क-१, डी०एल०एफ० फेज-२, एम०जी० रोड, गुडगांव-१२२००२
- ७— निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- ८— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,
कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
देहरादून ।

राजस्व अनुभाग—२

देहरादून: दिनांक: 14 मार्च, 2012

1

गई अनुमति के कम म प्रश्नगत भूमि का उपयोग जनायें।

महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं-96 भूक्य/18(1)/2006 दि-0-12.5.2008 एवं शासनादेश सं-867/18(2)/2009 दि-0-20.4.2009 के कम में एवं अधिकृत हस्ताक्षरी, मै0 प्रेरणा सेन्टर फॉर लर्निंग एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा०लि०, गुडगांव के प्रार्थना पत्र दि-0-26.4.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै० प्रेरणा सेन्टर फॉर लर्निंग एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा०लि०, गुडगांव को ग्राम बड़कोट माफी, तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून में पर्यटन प्रयोजनार्थ कुल 6.101 हौ० को ग्राम बड़कोट माफी, तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून में पर्यटन प्रयोजनार्थ कुल 6.101 हौ० भूमि कय हेतु दी गई अनुमति के कम में प्रश्नगत भूमि की उपयोग अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 154 की उप धारा-(4)(3)(ख) के उपबन्ध के अधीन, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

— श्री अमर सर्वे /पत्रिवाच्य यथावत् रहेंगे।

उक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।
2— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

प०प०सं-३/३ / सम्बिनिकित २०१२

मन्त्रिमणि विस्तृलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रातालाप निम्नालिखि परं रूपान् ।

 - 1— प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 2— प्रमुख सचिव / सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 3— प्रमुख सचिव / सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
 - 5— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 - 6— निदेशक, प्रेरणा सेन्टर फॉर लर्निंग एण्ड डेवलपमेन्ट प्राइलि0, 500 बी0, वेवर्ली पार्क-1,
डी0एल0एफ0 फेस-2, एम0जी0 रोड, गुडगांव-122002
 - 7— निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
 - 8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(Signature)

आज्ञा से

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव ।

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: ३-५-२०१२

विषय—श्री जय भगवान जिंदल को ग्राम नुरपुर, तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार में शासनादेश दि०-२१.११.२००६ द्वारा दी गई १.४९४० है० भूमि क्रय की अनुमति के कम में उक्त भूमि के उपयोग की अवधि में एक वर्ष का समय विस्तार दिए जाने एवं उद्योग के प्रारूप में परिवर्तन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-१२६ भूक्रय/१८(१)/२००६ दि०-२१.११.२००६ एवं श्री जय भगवान जिंदल, डी २८ मनोहर पार्क, नई दिल्ली के आवेदन पत्र दि०-१६.११.२००८ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, आवेदक को ग्राम नुरपुर, तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार में उक्त शासनादेश दि०-२१.११.२००६ द्वारा दी गई १.४९४० है० भूमि क्रय की अनुमति के कम में प्रश्नगत भूमि की उपयोग अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ की धारा १५४ की उप धारा-(४)(३)(ख) के उपबन्ध के अधीन, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने एवं उद्योग का प्रारूप "मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनब्लीच्ड एम०डी० काफट पेपर का निर्माण" के स्थान पर "काफट पेपर कॉरोगेशन एवं बाक्स का निर्माण" में परिवर्तन किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

२— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०-३७।/समदिनांकित २०१२

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- १— प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- ४— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- ५— श्री जय भगवान जिंदल, डी २८ मनोहर पार्क, नई दिल्ली।
- ६— निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- ७— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग—2

देहरादून: दिनांक: ०३ - ५ - २०१२

विषय—मैं ० आईएस रिसोर्ट प्रा०लि० कम्पनी, नई दिल्ली को पर्यटन व्यवसाय हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनौल्टी के ग्राम धोलागिरी में शासनादेश दि०—२५.१०.२००७ द्वारा दी गई ०.६८५ भूमि क्य की अनुमति के कम में उक्त क्य की गई भूमि के उपयोग की अवधि में एक वर्ष का समय बढ़ाए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-६१ भूक्य/१८(१)/२००७ दि०—२५.१०.२००७ एवं उपाध्यक्ष, मैं० आईएस रिसोर्ट प्रा०लि०, नई दिल्ली के आवेदन पत्र दि०—११.५.२०१० के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मैं० आईएस रिसोर्ट प्रा०लि० कम्पनी को पर्यटन व्यवसाय हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनौल्टी के ग्राम धोलागिरी में उक्त शासनादेश दि०—२५.१०.२००७ द्वारा दी गई ०.६८५ भूमि क्य की अनुमति के कम में प्रश्नगत भूमि की उपयोग अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ की धारा १५४ की उप धारा—(४)(३)(ख) के उपबन्ध के अधीन, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। यदि उक्त अवधि में इकाई द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो इस संबंध में धारा १६७ की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

२— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०-४२३ / सम्दिनांकित २०१२

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- १— प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- ४— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- ५— उपाध्यक्ष, मैं० आईएस रिसोर्ट प्रा०लि०, २०८ हेमकृष्ण चैम्बर्स, ८९ नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ११००१९
- ६— निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- ७— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सन्तोष बंडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

डी०एस० गर्वाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग—2

देहरादून: दिनांक 20 जून, 2012

विषय— पी०सी० चैरिटेबल सोसाइटी, देहरादून को इन्टर स्तर का शैक्षणिक संस्थान खोले जाने हेतु तहसील विकासनगर के ग्राम खुशहालपुर व छरबा में अवशेष 5.7 है० भूमि क्य की अनुमति की अवधि विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1422 / XVIII(II) / 2010, दिनांक—24-06-2010 एवं संस्था के आवेदन पत्र दिनांक—25.04.2012 एवं शपथ पत्र दिनांक—18-05-2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी०सी० चैरिटेबल सोसाइटी, देहरादून को इन्टर स्तर का शैक्षणिक संस्थान खोले जाने हेतु तहसील विकासनगर के ग्राम खुशहालपुर व छरबा में अवशेष 5.7 है० भूमि क्य की अनुमति की वैधता अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010, दिनांक—11-01-2010 के नियम 116 टके उपबन्ध के अधीन इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के लिए अन्तिम बार बढ़ाई जाती है।

2— इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे तथा उक्त शासनादेश इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाये।

3— अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गर्वाल)
सचिव।

संख्या— (1) / XVIII(II) / 2012 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।

2. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 3. आयुक्ता, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 4. श्री जोकें मित्तल, पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी—बी०डी०—२३ प्रीतमपुरा विशाखा इन्कलेव, नई दिल्ली—३४।
 5. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
 6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

डी०एस० गव्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।
राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 6 जुलाई, 2012

विषय—ग्राम बडासी, तहसील एवं जिला देहरादून में होटल/रिसोर्ट के निर्माण हेतु क्रय की गयी कुल 0.790 हौ० भूमि के उपयोग की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, श्री रामशरण नौटियाल, अधिकृत हस्ताक्षरी श्री थम्पी सी०सी० के पत्र दिनांक-07.06.2012 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-38/भूक्रय/18(1)/2005 दिनांक-04.04.2005, शासनादेश संख्या-319/18(1)/2007 दिनांक-24.03.2008, शासनादेश संख्या-302/18(ii)/2010 दिनांक-29.03.2010 तथा शासनादेश संख्या-966/18(ii)/2011 दिनांक-08.07.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री थम्पी सी०सी०, निवासी—चैरुवतुर हाऊस, ग्राम पणजी, पौ० कोटोल, जनपद त्रिसूर केरला को ग्राम बडासी, तहसील एवं जिला देहरादून में होटल/रिसोर्ट के निर्माण हेतु क्रय की गयी कुल 0.790 हौ० भूमि के उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक-15.01.2004 की धारा 154 की उप धारा-(4)(3)(ख) के उपबन्ध के अधीन, इंस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अन्तिम बार एक वर्ष के लिए इस शर्त के साथ बढ़ायी जाती है कि इस अवधि में प्रत्येक दशा में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

2. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गव्याल)
सचिव।

संख्या-1633 (1)/XVIII(ii)/2012 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3. श्री थम्पी सी०सी०, निवासी—चैरुवतुर हाऊस ग्राम—पणजी, पौ०—कोटोल, जनपद त्रिसूर, केरला द्वारा श्री रामशरण नौटियाल, 183 राजपुर रोड देहरादून।
4. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. ऑफिस फाईल।

आज्ञा से,

25
(संतोष बडोनी)
अनुसंधिव।

प्रेषक,

डी०एस० गर्वाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: ३। अगस्त, 2012

विषय—श्री वी०के० कौशिक, निवासी एच०-५८४ अंसल होम्स पालम विहार, गुडगांव, हरियाणा को ग्राम रौतू की वैली, तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल में पर्यटन प्रयोजनार्थ हेतु कुल ०.६५२ हॉ भूमि के उपयोग की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, श्री वी०के० कौशिक, निवासी एच०-५८४ अंसल होम्स पालम विहार, गुडगांव, हरियाणा के आवेदन पत्र दिनांक-२७.०५.२०१२ के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-१४६५/१८(२)/२००८ दिनांक-१०.१२.२००८, शासनादेश संख्या-१३८६/XVIII(ii)/२०१०-१(१५)/२००८ दिनांक-०३.०८.२०१०, के क्रम में गुज़ो यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री वी०के० कौशिक द्वारा ग्राम रौतू की वैली, तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल में पर्यटन प्रयोजनार्थ हेतु क्रय की गयी ०.६५२ हॉ भूमि पर निर्धारित प्रयोजन पूर्ण किये जाने के लिए उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक-१५.०१.२००४ की धारा १५४ की उप धारा-(4)(३)(ख) के उपबन्ध के अधीन, इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष का समय प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार अग्रेतार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गर्वाल)
सचिव।

संख्या२४७१(१)/XVIII(ii)/२०१२ एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. श्री वी०के० कौशिक, निवासी एच०-५८४-सी० द्वितीय तल, अंसल होम्स पालम विहार, गुडगांव, हरियाणा।
4. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. गांड काईल।

आज्ञा से,

गांड
(डी०एस० गर्वाल)
सचिव।

प्रेषक,

डॉ०एस० गर्वाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग—२

देहरादून: दिनांक: ५ दिसम्बर, 2012

विषय—मै० ऐरो इन्फ्रास्ट्रक्चर, लि० को रेजीडेन्शियल कम कामर्शियल पार्क—॥ की स्थापना हेतु ग्राम पंचायनपुर एवं शान्तरशाह, तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार में 69.881 हौ० भूमि के सापेक्ष क्रय की गयी 36.1868 हौ० भूमि के उपयोग की अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिकृत हस्ताक्षरी, मै० ऐरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० हरिद्वार के आवेदन पत्र दिनांक—21.08.2012 एवं शासनादेश संख्या—247—भू—क्रय / 18(1) / 2006 दिनांक—18.03.2008 तथा शासनादेश संख्या—2276 / XVIII(II)/2011 दिनांक—24.08.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै० ऐरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० को रेजीडेन्शियल कम कामर्शियल पार्क—॥ की स्थापना हेतु ग्राम पंचायनपुर एवं शान्तरशाह, तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में 69.881 हौ० भूमि के सापेक्ष क्रय की गयी 36.1868 हौ० भूमि के उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मांदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक—15.01.2004 की धारा 154 की उप धारा—(4)(3)(ख) के उपबन्ध के अधीन, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से अन्तिम बार 1 वर्ष हेतु बढ़ायी जाती है।

2. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ०एस० गर्वाल)
सचिव।

संख्या ५६२(१) / XVIII(II) / 2009 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. अधिकृत हस्ताक्षरी, मै० ऐरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, परियोजना कार्यालय, हरिद्वार, ग्रीन्स निकट, जवाहर, नवोदय विद्यालय, रोशनाबाद हरिद्वार।
5. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

2
म
०
१

वर्ष
रते
01
को
गई
के

प्रेषक,

डॉ० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

विषय—मै० होप रैमेडीज प्रा०लि० को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रुड़की के ग्राम माधोपुर हजरतपुर में दी गई भूमि क्य की अनुमति के कम में भू—उपयोग अवधि के विस्तार के संबंध में।

देहरादून: दिनांक: १३.१२.२०११

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-१७६ भूक्य/१८(१)/२००५ दि०-४.३.२००६ एवं शासनादेश सं०-२४२ भूक्य/१८(१)/२००६ दि०-३०.१.२००८ के कम में एवं मै० होप रैमेडीज प्रा० लि० के प्रार्थना पत्र दि०-१८.११.२००९ (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, प्रश्नगत प्रकरण में उत्तराखण्ड (उ०प्र० जर्मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ की धंरा १५४ (४) (३) (ख) के अंतर्गत सम्यक विचारोपरांत इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रश्नगत प्रयोजन पूर्ण किए जाने हेतु एक वर्ष का भू—उपयोग अवधि विस्तार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस संबंध में उक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें/प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

कृपया तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० राकेश कुमार)
सचिव।

प्र०प०सं०-३८५ / समदिनांकित / २०११

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- ३— सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४— सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ५— निदेशक, उद्योग, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
- ६— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, २-न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
- ७— श्री संजय कुमार रत्ना, निवासी ८८० सैक्टर-९ फरीदाबाद।
- ८— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- ९— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

डा० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २। मार्च, 2010

विषय—पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, हरिद्वार को पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना एवं
अन्य लोकोपकारी कार्यो हेतु ग्राम औरंगाबाद एवं शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला
में 155 है० भूमि क्य की अनुमति की अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-५७/भू-क्य/ XVIII(II)/2010,
दिनांक-26.2.2010 एवं पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, हरिद्वार के आवेदन पत्र, दिनांक-10.
8.2010 के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट,
हरिद्वार को पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना एवं अन्य लोकोपकारी कार्यो हेतु,
ग्राम औरंगाबाद एवं शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला में 155 है० भूमि क्य की अनुमति, की
वैधता अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था
नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010, दिनांक-11-01-2010 के नियम 116-ट
के उपबन्ध के अधीन, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से ४ माह के लिए
बढ़ाई जाती है।

2. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि, उपरोक्त शासनादेशों
में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे तथा उक्त शासनादेश इस सीमा
तक ही संशोधित समझा जायेगा।

3. अतः इस सम्बन्ध में, तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही
से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

|
(डा० राकेश कुमार)
सचिव।

.....2

—2—

संख्या—३०३(१) / XVIII(II) / 2010 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. ~~आचार्य बाल कृष्ण, महामंत्री, पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) महर्षि दयानन्द ग्राम,~~
~~दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, निकट बहादराबाद, हरिद्वार।~~
4. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. ग्राउंड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बंडोनी)

अनुसन्धित।

प्रेषक,

संतोष बडोनी
 अनुसचिव,
 उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
 हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

दहरादून: दिनांक: १ मार्च, 2011

विषय—मैं ० पामीर इस्टेट्स प्रा० लि० को, ग्राम अतमलपुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार में होटल व्यवसाय हेतु कुल 1.592 हौ० भूमि के उपयोग की अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक, निदेशक, पामीर स्टेट प्रा० लि०, नई दिल्ली के आवेदन पत्र दिनांक—26.7.2010 एवं शासनादेश संख्या—55-भू-क्रय/18(1)/2007, दिनांक—27 मई 2008, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, मैं ० पामीर इस्टेट्स प्रा० लि० को, ग्राम अतमलपुर तहसील एवं जिला हरिद्वार में होटल व्यवसाय हेतु कुल 1.592 हौ० भूमि के उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संरोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक—15.01.2004 की धारा 154 की उप धारा—(4)(३) (ख) के उपबन्ध के अधीन, शासनादेश जारी होने की तिथि से १ वर्ष हेतु बढ़ायी जाती है।

2. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

1
 (संतोष बडोनी)
 अनुसचिव
2

(2)

संख्या ५३५(१) / XVIII(II) / 2011 एवं तददिनांक
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- श्री गौरव गर्व, निदेशक, पासीर इस्टेट प्रा० लि०, पंजीकृत कार्यालय,
सी०-३०, चिराग एनक्लेव, नई दिल्ली।
- 5- निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,
संतोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग—२

देहरादून:दिनांक: ३० मई, 2011

विषय:- एम०पी०सिंह फाउन्डेशन, पंजीकृत ट्रस्ट, दिल्ली को ग्राम कालेगांव, सहस्रधारा रोड, तहसील सदर, जिला देहरादून में, शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 10.533 है० भूमि क्य की अनुमति की अवधि में विस्तार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या—1059/XVIII(II)/2009, दिनांक—20.5.2010, शासनादेश संख्या—2359, दिनांक—23.11.2010 एवं आवेदक संस्था के आवेदन पत्र, दिनांक—24.3.2011 (छायाप्रति सलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम०पी०सिंह फाउन्डेशन, पंजीकृत ट्रस्ट, दिल्ली को ग्राम कालेगांव, सहस्रधारा रोड, तहसील सदर, जिला देहरादून में, शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 10.533 है० भूमि क्य की अनुमति, की वैधता अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010 दिनांक—11.1.2010 के नियम 116—ट के उपबन्ध के अधीन शासनादेश जारी होने की तिथि से 06 माह तक के लिए अन्तिम बार बढ़ायी जाती है।

1. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेगे तथा उक्त शासनादेश इस सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।
2. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही

(2)

से शासन को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

|
(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

पृष्ठ० सं०-९०३ / संमिनांकित / 2011

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. अधिकृत हस्ताक्षरी, एम०पी० सिंह फाउन्डेशन, पंजीकृत ट्रस्ट, पंजीकृत कार्यालय, सी०-४९३, योजना विहार, दिल्ली-११००९२।
6. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. गार्ड फाईल। ✓

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,
सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: २७ दिसम्बर, 2011

विषय—जेनेसिस रिवर व्यू रिसोर्ट एल०एल०पी०, रामनगर, नैनीताल को रिसोर्ट/इकोटूरिज्म प्रयोजनार्थ कार्टेज निर्माण हेतु अवशेष ०.०७९ हेठो भूमि क्य किये जाने हेतु समयावधि विस्तार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिकृत हस्ताक्षरी, जेनेसिस रिवर व्यू रिसोर्ट एल०एल०पी०, रामनगर नैनीताल के प्रार्थना पत्र दि०-२६.१२.२०११ के संदर्भ में एवं शासनादेश सं०-२०/१८(२)/२०११-१(६५)/२०१०, दि०-२३.२.२०११ के कम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जेनेसिस रिवर व्यू रिसोर्ट एल०एल०पी०, रामनगर, नैनीताल को ग्राम मोहान एवं अमरपुर, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल में रिसोर्ट/इकोटूरिज्म प्रयोजनार्थ कार्टेज निर्माण के लिए अवशेष ०.०७९ हेठो भूमि क्य किये जाने हेतु विकेता के नाम परिवर्तन सहित भूमि क्य की अनुमति की समयावधि ६ माह बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

२— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

पृ०प०सं०-३।४४/ सम्बिन्दित २०११

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- १— प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- ४— आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- ५— अधिकृत हस्ताक्षरी, जेनेसिस रिवर व्यू रिसोर्ट एल०एल०पी०, रामनगर, नैनीताल।
- ६— निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- ७— प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
- ८— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: २७ दिसम्बर, 2011

विषय—मैं प्रतीक रिसोर्ट्स प्राइलि० को ग्राम डांडा नूरीवाला व ग्राम डांडा लखौण्ड में शासन द्वारा प्रदत्त भूक्य की अनुमति के सापेक्ष क्रय की गयी भूमि का भू-उपयोग अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिकृत प्रतिनिधि, मैं प्रतीक रिसोर्ट्स एण्ड बिल्डर्स प्राइलि०, देहरादून के प्रार्थना पत्र दि०-21.6.2011 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-55(1) भूक्य/18(1)/2004 दि०-2.8.2005, एवं शासनादेश सं०-1147/18(2)/2010 दि०-19.5.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मैं प्रतीक रिसोर्ट प्राइलि० को ग्राम डांडा नूरीवाला व ग्राम डांडा लखौण्ड में शासनादेश संख्या-55(1) भूक्य/18(1)/2004 दिनांक-02.08.2005 द्वारा आवासीय कॉलोनी के निर्माण हेतु प्रदत्त कुल 60 एकड़ भूमि क्रय की अनुमति के भू-उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक-15.01.2004 की धारा 154 की उप धारा-(4)(3)(ख) के उपबन्ध के अधीन इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से अन्तिम बार एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। उक्त अवधि के पश्चात भी प्रस्तावित कार्य/प्रयोजन पूर्ण नहीं किए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

संख्या/२६३(१)/XVIII(II)/2011 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
5. अधिकृत हस्ताक्षरी, प्रतीक रिसोर्ट्स एण्ड बिल्डर्स प्राइलि०, 88ए राजपुर रोड देहरादून।
6. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

२१
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शारन।

रोवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग-२

देहरादून:दिनांक: १० मई, 2011

विषय:-ग्राम रामेश्वरपुर, तहसील किछा, जिला उधमसिंहनगर में, आशा किरन सोसायटी को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 2.74 है० भूमि क्य की अनुमति की अवधि में विस्तार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-1556/XVIII(II)/2010, दिनांक-19 जुलाई 2010, आपके पत्र रांख्या-1020/सात-स०भ०३०/2011, दिनांक-6.5.2011 एवं आवेदक संस्था के आवेदन पत्र, दिनांक-10.5.2011, (छायाप्रति सलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम रामेश्वरपुर, तहसील किछा, जिला उधमसिंहनगर में, आशा किरन सोसायटी को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 2.74 है० भूमि क्य की अनुमति की वैधता अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010 दिनांक-11.1.2010 के नियम 116-ट के उपवन्ध के अधीन शारनादेश जारी होने की तिथि से 06 माह तक के लिए बढ़ायी जाती है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिवन्ध यथावत रहेंगे तथा उक्त शासनादेश इस सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

(2)

3. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

|
(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठ०सं०-//६० / संमिलित / 2011
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. अध्यक्ष, आशा किरन सोसायटी, प्रोविन्सियल हाउस, सेन्ट मैरिज कानवेन्ट, रमनी पार्क, नैनीताल।
5. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

20
(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,
संतोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग—२

देहरादून: दिनांक: २७ अप्रैल, 2011

विषय—पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, हरिद्वार को पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना एवं अन्य लोकोपकारी कार्यों हेतु ग्राम औरंगाबाद, शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला में 155 हौं भूमि क्य की अनुमति की अवधि में विस्तार प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-३०३/XVIII(II)/2010-1(87)/2010 दि०-२१.

3.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में पत्र संख्या एवं दिनांक में लिपिकीय त्रुटिवश वर्ष 2011 के स्थान पर 2010 अंकित हो गया है। अतः प्रश्नगत शासनादेश संख्या 303/XVIII(II)/2010-1(87)/2010 में प्रथम 2010 के स्थान पर 2011 एवं दिनांक 21 मार्च, 2010 के स्थान पर दि०-२१ मार्च, 2011 पढ़ा एवं समझा जाए। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

पृ०प०सं०-१०५ समदिनांकित / 2011

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. आचार्य बालकृष्ण, महामंत्री, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, महर्षि दयानन्द ग्राम, दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, निकट बहादराबाद, हरिद्वार।
4. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-२

विषय—ग्राम बड़ासी, तहसील एवं जिला देहरादून में होटल/रिसोर्ट के निर्माण हेतु
क्य की गई कुल ०.७९० है० भूमि के उपयोग की अवधि बढ़ाये जाने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री राम शरण नौटियाल, अधिकृत हस्ताक्षरी श्री थम्पी
सी०सी० के पत्र दि०-६.३.२०११ के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-३८,
भू-क्रय/१८(१)/०९, दिनांक-४.४.२००५, शासनादेश संख्या-३१९/XVIII(I)/२००७,
दिनांक-२४.३.२००८ एवं शासनादेश सं०-३०२/१८(२)/२०१० दि०-२९.३.२०१० के क्रम
में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री थम्पी सी०सी०, निवासी चरूवतुर हाउस,
ग्राम पणजी, पो० कोटोल, जिला त्रिसुर, केरला को ग्राम बड़ासी, तहसील एवं जिला
देहरादून में होटल/रिसोर्ट के निर्माण हेतु क्य की गई कुल ०.७९० है० भूमि के
उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था
अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम,
२००३ दिनांक-१५.०१.२००४ की धारा १५४ की उप धारा-(४)(३)(ख) के उपबन्ध के
अधीन, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए बढ़ायी जाती
है।

२— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही
से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-७६६(१)/XVIII(II)/२०११ एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
३. श्री थम्पी सी०सी०, निवासी चरूवतुर हाउस, ग्राम पणन्जी, पो० कोटोल, जिला
त्रिसुर, केरला द्वारा श्री राम शरण नौटियाल, १८३ राजपुर रोड, देहरादून।
४. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
५. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या—४६८/XVIII(II)/2011

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग—२

देहरादून: दिनांक: १९ अगस्त, २०११

विषय—मै० सैडोना हर्बल्स प्रा० लि० को ग्राम मिस्सरपुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार में आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु ५.५५१ है० भूमि के उपयोग की अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, निदेशक, मै० सैडोना हर्बल्स प्रा० लि०, दिल्ली के आवेदन पत्र दिनांक—२७.७.२०११ एवं शासनादेश संख्या—१२५२/XVIII(II) /२००८, दिनांक—३०.१२.२००८, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै० सैडोना हर्बल्स प्रा० लि० को ग्राम मिस्सरपुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार में आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु ५.५५१ है० भूमि के उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक—१५.०१.२००४ की धारा १५४ की उप धारा—(4)(3) (ख) के उपबन्ध के अधीन शासनादेश जारी होने की तिथि से १ वर्ष हेतु बढ़ायी जाती है।

२. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

।
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव
.....2

संख्या—१८६४ (1) / XVIII (II) / 2010 एवं तददिनांक
(2)
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3— आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी।
- 4— निदेशक, सैडोना हर्बल्स प्राइली, पंजीकृत कार्यालय ए०-१/८३,
सैकटर-८, रोहिणि, नई दिल्ली।
- 5— निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बंडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग—2

देहरादून: दिनांक: १७ अगस्त, 2011

विषय— मै० श्री बालाजी कोर्लगेटर्स को कोरोगेटेड बॉक्सेज के निर्माण हेतु ग्राम जाफरपुर, तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर में ०.५०५ है० भूमि के उपयोग की अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पार्टनर, मै० श्री बालाजी कोर्लगेटर्स, जाफरपुर, तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर के आवेदन पत्र दि०-३.१.२०११ एवं शासनादेश संख्या—१३८—भू—क्य/१८(१)/२००६, दिनांक—१०.११.२००६, के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, मै० श्री बालाजी कोर्लगेटर्स को कोरोगेटेड बॉक्सेज के निर्माण हेतु ग्राम जाफरपुर, तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर में ०.५०५ है० भूमि के उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक—१५.०१.२००४ की धारा १५४ की उपधारा—(४)(३) (ख) के उपबन्ध के अधीन, शासनादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष हेतु बढ़ायी जाती है।

2. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

1

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव
.....2

(2)

संख्या—१५८ (१) / XVIII(II) / 2011 एवं तदिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन ✓
- 2— मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3— आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4— श्री रामदेव अग्रवाल, पार्टनर, मै0 श्री बालाजी कोर्लगेटर्स, जाफरपुर, तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर।
- 5— निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

20
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 24 अगस्त, 2011

विषय—मैं ऐसे इन्फास्ट्रक्चर लिंग को रेजीडेन्शियल कम कामर्शियल पार्क-II की स्थापना हेतु ग्राम पंचायनपुर, एवं शान्तरशाह, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में 69.881 हेतु भूमि के सापेक्ष क्रय की गयी 36.1868 है। भूमि के उपयोग की अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अधिकृत हस्ताक्षरी, मैं ऐसे इन्फास्ट्रक्चर लिंग हरिद्वार के आवेदन पत्र दिनांक-11.1.2011 एवं शासनादेश संख्या-247-भू-क्रय/18(1)/2006, दिनांक-18 मार्च 2008, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, मैं ऐसे इन्फास्ट्रक्चर लिंग को रेजीडेन्शियल कम कामर्शियल पार्क-II की स्थापना हेतु ग्राम पंचायनपुर, एवं शान्तरशाह, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में 69.881 हेतु भूमि के सापेक्ष क्रय की गयी 36.1868 है। भूमि के उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवरथा अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक-15.01.2004 की धारा 154 की उप धारा-(4)(3) (ख) के उपबन्ध के अधीन, शासनादेश जारी होने की तिथि से 1 वर्ष हेतु बढ़ायी जाती है।

2. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

(2)

संख्या— (1) / XVIII (II) / 2011 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2— मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।

3— आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी।

4— अधिकृत हस्ताक्षरी मैं ० ऐरो इन्फ्रास्टक्चर लि०, परियोजना कार्यालय हरिद्वार ग्रीन्स, निकट, जवाहर नवोदय विद्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।

5— निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।

6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

20
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग—2

देहरादून: दिनांक 2 सितम्बर, 2011

विषय—ईमिल फार्मास्यूटिकल इन्डस्ट्रीज प्राप्ति द्वारा फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रुड़की के ग्राम रायपुर में क्रय की गयी 2.3665 है। भूमि की उपयोग अवधि में एक वर्ष का समय विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—29 भूक्रय/18(1)/2005 दिनांक 12.05.2005 एवं निदेशक, ईमिल फार्मास्यूटिकल इन्डस्ट्रीज प्राप्ति द्वारा फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रुड़की के ग्राम रायपुर में क्रय की गयी 2.3665 है। भूमि की उपयोग अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक—15.01.2004 की धारा 154 की उप धारा—(4)(3)(ख) के उपबन्ध तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन के अधीन, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए बढ़ायी जाती है:—

- प्रश्नगत भूमि में धारा—143 की कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के स्तर से पुष्टि कर ली जायेगी।
 - इकाई द्वारा इस शासनादेश के क्रम में यदि एक वर्ष के भीतर प्रश्नगत प्रयोजन को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो तत्क्रम में धारा—167 की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- 2— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या—1169 (1)/XVIII(II)/2011 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

4. निदेशक, ईमिल फार्मास्यूटिकल इन्डस्ट्रीज प्रा०लि० 101 मंगलम कूलूपवाडी निकट नेशनल पार्क बोरीवली (ईस्ट) मुम्बई-66
5. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. गार्ड फाईल ✓

आज्ञा से,


(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या २५५२/XVIII(II)/2011-1(82)/2008

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: १५ सितम्बर, 2011
विषय—मैं हरिद्वार एस्टेट्स प्रा० लि० को निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना
हेतु, जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के ग्राम बाबरी कलन्जरी एवं
शान्तरशाह में प्रदत्त 125 है० भूमि क्य की अनुमति के क्रम में, क्य की
गयी 12.50 है० भूमि के उपयोग की अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अधिकृत हस्ताक्षरी, हरिद्वार एस्टेट्स प्रा० लि० के
आवेदन पत्र दिनांक—27.12.2010 एवं शासनादेश संख्या—921—भू क्य/18
(1)/2008, दिनांक—27.8.2008, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है
कि, मैं हरिद्वार एस्टेट्स प्रा० लि० को निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना
हेतु, जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के ग्राम बाबरी कलन्जरी एवं
शान्तरशाह में प्रदत्त 125 है० भूमि क्य की अनुमति के क्रम में, क्य की गयी
12.50 है० भूमि के उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी
विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,
2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक—15.01.2004 की धारा 154 की उप
धारा—(4)(3) (ख) के उपबन्ध के अधीन, शासनादेश जारी होने की तिथि से छ:
माह हेतु बढ़ायी जाती है।

2. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत
कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

.....2

(2)

संख्या २५५२(१) / XVIII(II) / 2011 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4— अधिकृत, हस्ताक्षरी, हरिद्वार एस्टेट्स प्रा० लि०, 38 कि०मी० स्टोन, दिल्ली—जयपुर हाईवे, गुडगांव।
- 5— निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-2

मन्त्री
देहरादून: दिनांक: १५-सितम्बर, २०११

विषय—ए०वी०एस० डैकोर प्रा० लि० को, औद्योगिक प्रयोजन हेतु, ग्राम धौलाखेड़ा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में कुल ०.१८९ है० भूमि के उपयोग की अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, निदेशक, ए०वी०एस० डैकोर प्रा० लि० नई दिल्ली के आवेदन पत्र दिनांक—८.८.२०११ एवं शासनादेश संख्या—३६० / XVIII(II) / 2009—१(33) / २००८, दिनांक—१६ फरवरी २००९, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, ए०वी०एस० डैकोर प्रा० लि० को, औद्योगिक प्रयोजन हेतु, ग्राम धौलाखेड़ा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में कुल ०.१८९ है० भूमि के उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक—१५.०१.२००४ की धारा १५४ की उप धारा—(4)(3) (ख) के उपबन्ध के अधीन, शासनादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष हेतु बढ़ायी जाती है।

2. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

।
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव
.....2

(2)

संख्या २०७ व(1) / XVIII(II) / 2011 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3— आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4— निदेशक, ए०वी०ए०स०० डैकोर प्रा० लि०, कार्यालय ३३ चर्च रोड,
जंगपुरा भोगल, निकट बाटा चौक, नई दिल्ली।
- 5— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, २, न्यू कैन्ट रोड, सिड्कुल,
देहरादून।
- 6— निदेशक एन०आई०सी०० उत्तराखण्ड सचिवालय।

✓ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सतीष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

विषय—गंगा प्रेम हॉस्पिस प्रोजेक्ट हेतु श्रद्धा कैंसर केयर ट्रस्ट, दिल्ली को ग्राम गोहरी माफी, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून में क्य की गई कुल 0.3850 है 0 भूमि भूमि की उपयोग अवधि में दो वर्ष का समय विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून: दिनांक: १८ नवम्बर, 2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-183 / 18(2) / 2009-1(5) / 09 दिनांक 23.3.2009 एवं अध्यक्ष, श्रद्धा कैंसर केयर ट्रस्ट, दिल्ली के पत्र दि 0-18.7.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा प्रेम हॉस्पिस प्रोजेक्ट हेतु श्रद्धा कैंसर केयर ट्रस्ट, दिल्ली को ग्राम गोहरी माफी, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून में क्य की गई कुल 0.3850 है 0 भूमि की उपयोग अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक-15.01.2004 की धारा 154 की उप धारा-(4)(3)(ख) के उपबन्ध के अधीन, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के लिए बढ़ायी जाती है। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

2— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

संख्या-१६४(1) / XVIII(II) / 2011-1(5) / 2009 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. अध्यक्ष, श्रद्धा कैंसर केयर ट्रस्ट, 239 गालिब अपार्टमेन्ट्स परवाना रोड, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110004
5. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बंडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 18 नवम्बर, 2011

विषय:- मैं 0 हेमा इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि0, नई दिल्ली को, ग्राम सलेमपुर महदूद द्वितीय, परगना रुड़की, तहसील एवं जिला हरिद्वार में गोदाम का निर्माण किये जाने हेतु, कुल 0.684 है0 भूमि की औद्योगिक उपयोग हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-661 / XVIII(II) / 2011-1(24) / 2010, दिनांक-10.3.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, मैं 0 हेमा इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि0, नई दिल्ली को, ग्राम सलेमपुर महदूद द्वितीय, परगना रुड़की, तहसील एवं जिला हरिद्वार में गोदाम का निर्माण किये जाने हेतु, प्रदत्त कुल 0.684 है0 भूमि की औद्योगिक उपयोग हेतु अनुमति, से सम्बन्धित उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्त संख्या-3 में गोदाम का निर्माण किये जाने के साथ-साथ, भूमि का उपयोग, औद्योगिक उत्पादन कार्य हेतु भी किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

।
(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृष्ठां-२९५। / समिति / 2011

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- निदेशक, उद्योग विभाग, औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर, देहरादून।
- 4- श्री सुरेश कुमार कालरा, अधिकृत हस्ताक्षरी, हेमा इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि0 1/3 के0एम0 खाण्डसा रोड, गुडगांव, हरियाणा।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 6- प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
20
(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

डा०राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग—2

देहरादून:दिनांक: २३ नवम्बर, 2010

विषय:- एम०पी०सिंह फाउन्डेशन, पंजीकृत ट्रस्ट, दिल्ली को ग्राम कालेगांव, सहस्रधारा रोड, तहसील सदर, जिला देहरादून में, शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 10.533 है० भूमि क्य की अनुमति की अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1059 / XVIII(II) / 2008-1(53) / 2009, दिनांक—20 मई 2010, एवं आवेदक संस्था के आवेदन पत्र, दिनांक—8 अक्टूबर 2010, (छायाप्रति संलग्न) के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम०पी०सिंह फाउन्डेशन, पंजीकृत ट्रस्ट, दिल्ली को ग्राम कालेगांव, सहस्रधारा रोड, तहसील सदर, जिला देहरादून में, शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 10.533 है० भूमि क्य की अनुमति, की वैधता अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010 दिनांक—11.1.2010 के नियम 116—ट के उपबन्ध के अधीन शासनादेश जारी होने की तिथि से 06 माह तक के लिए बढ़ायी जाती है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे तथा उक्त शासनादेश इस सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।
3. अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही

(2)

से शासन को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

|
(डा० राकेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठ सं-235। / संमिलित / 2010

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. अधिकृत हस्ताक्षरी, एम०पी०सिंह फाउन्डेशन, पंजीकृत ट्रस्ट, पंजीकृत कार्यालय, सी०-४९३, योजना विहार, दिल्ली-११००९२।
6. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय। ✓
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग—२

देहरादून: दिनांक: ३ अगस्त, 2010

विषय—श्री वी० कौशिक, निवासी एच०-५८४ अंसल पालम विहार, गुडगांव, हरियाणा को ग्राम रौतू की वैली, तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल में, पर्यटन प्रयाजनार्थ, कुल ०.६५२ है० भूमि के उपयोग की अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, श्री वी० कौशिक, निवासी एच०-५८४ अंसल पालम विहार, गुडगांव, हरियाणा के, आवेदन पत्र दिनांक—३.६.२०१० एवं शासनादेश संख्या—१४६५ / १८(२) / २००८, दिनांक—१० दिसम्बर २००८, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री वी० कौशिक को, ग्राम रौतू की वैली, तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल में, पर्यटन प्रयाजनार्थ, कुल ०.६५२ है० भूमि के उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक—१५.०१.२००४ की धारा १५४ की उप धारा—(४)(३) (ख) के उपबन्ध के अधीन, उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित तिथि की समाप्ति से एक वर्ष हेतु बढ़ायी जाती है।

२ अतः इस सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

(2)

कानूनी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 2- आयुक्त गढ़वाल भण्डल पौड़ी।
 - 3- श्री वी0 कौशिक निवासी एच0--584--सी0 द्वितीय तला, अंसल होम्स, अंसल पालम विहार, गुडगांव, हरियाणा।
 - 4- निदेशक एन0आइ0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
 - 5- गार्ड फाईल। ✓

आज्ञा से,


(संतोष बजानी)
अनुसचिव।

प्रेषक,
डॉ० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग—2

विषय:—महाशीर एजूकेशन प्रार्थी को जिला देहरादून के ग्राम खारा खेत, विधौली एवं ग्राम चौकी में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 65.48 एकड़ भूमि क्रय के उपयोग की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून: दिनांक: २ नवम्बर, 2010

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—177, भू—क्रय / 18(1) / 06, दिनांक—28. 2.2007 एवं शासनादेश संख्या—498 / xviii(ii) / 2009 दिनांक—8.4.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाशीर एजूकेशन प्रार्थी, देहरादून के पत्र दि—20.2.2009 एवं 26.10.2010 के क्रम में इकाई को ग्राम खाराखेत, विधौली एवं ग्राम चौकी में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ क्रय के लिए स्वीकृत कुल 65.48 एकड़ भूमि के उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003, दि—15.1.2004 की धारा 154 की उप धारा—(4) (३) (ख) के उपबंध के अधीन, शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष के भीतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतः इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० राकेश कुमार)
सचिव।

पु0प0सं-१०७६/समदिनांकित 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3— श्री आदिल सिंह अकोई, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, महाशीर एजूकेशन प्राइलि0 पंजीकृत कार्यालय, ग्राम महराकोट पो0ओ0 पौंधा परगना पछवादून, जिला देहरादून।
- 4— निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)

अनुसचिव।

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग—2

देहरादून: दिनांक: ५ जून, 2009

विषय—मैं प्रतीक रिसोर्ट प्राइलि० को ग्राम डांडा नूरी वाला व ग्राम डांडा लखौण्ड में शासन द्वारा प्रदत्त भूक्रय की अनुमति के सापेक्ष क्रय की गयी भूमि का भू—उपयोग अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—340/डी०एल०आर०सी०—2009 दिनांक—20.05.09 एवं शासनादेश संख्या—393/18(1)/08, दिनांक—20.02.08 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मैं प्रतीक रिसोर्ट प्राइलि० को ग्राम डांडा नूरी वाला व ग्राम डांडा लखौण्ड में शासनादेश संख्या—55(1) भूक्रय/18(1)/2004 दिनांक—02.08.2005 द्वारा आवासीय कॉलोनी के निर्माण हेतु प्रदत्त कुल 60 एकड़ भूमि क्रय की अनुमति के भू—उपयोग को अवधि उपरोक्त शासनादेश दिनांक—20.02.08 के माध्यम से 01 वर्ष हेतु बढ़ायी गयी थी। इस सम्बन्ध में आवेदक संस्था का भूमि विनिमय प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन के स्तर पर लम्बित होने के कारण उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक—15.01.2004 की धारा 154 की उप धारा—(4)(3)(ख) के उपबन्ध के अधीन मैं प्रतीक रिसोर्ट प्राइलि० द्वारा उपरोक्त क्रय की गयी भूमि के उपयोग की अवधि को अन्तिम बार इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 01 वर्ष हेतु बढ़ाया जाता है।

भवदीय,

✓
(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

-2-

संख्या—१३४६(१) / XVIII(II) / 2009 एवं तददिनांक
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
5. श्री विपुल गोयल निदेशक प्रतीक रिसोर्ट्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, 78
राजपुर रोड देहरादून।
6. निदेशक एनोआईसी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. गार्ड फाईल। ✓

आज्ञा से,

(संतोष बंडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 6 नवम्बर, 2009

विषय—मैं0 एलकैमिस्ट लि0 को ग्राम मक्खनपुर, महमूद, तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में फार्मास्यूटिकल इकाई की स्थापना हेतु कुल 1.4250 है० भूमि पर योजना निर्माण के लिए भूमि उपयोग की अवधि में विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—101, भू—क्रय/18(1)/05, दिनांक—06.10.2005 एवं आपके पत्र संख्या—106/भूमि व्यवस्था, दिनांक—01.10.09 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मैं0 एलकैमिस्ट लि0 को ग्राम मक्खनपुर, महमूद, तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में फार्मास्यूटिकल इकाई की स्थापना हेतु कुल 1.4250 है० भूमि के उपयोग की अवधि, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक—15.01.2004 की धारा 154 की उपधारा—(4)(3)(ख) के उपबन्ध के अधीन, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष बढ़ायी जाती है।

2— अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

—2—

संख्या-३३॥ (1) / XVIII(II) / 2009 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. श्री आर०पी०छाबडा, निदेशक, एलकैमिस्ट लि�०, एस०सी०ओ०, 12-13,
सेक्टर-९डी चण्डीगढ़।
4. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. गार्ड फाईल। ✓

आज्ञा से,



(संतोष बडोनी)

अनुसचिव।

प्रेषक,

डी०एस० गव्याल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: ७६ नवम्बर, 2012

विषय:- मै० सत्यदेव हास्पिटैलिटी प्रा०लि०, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को ग्राम ढिकुली, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल में पर्यटन परियोजना के लिए 1.772 है० भूमि/भवन क्रय किये जाने की अनुमति के संबंध में महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—663/12जे०ए०सी०/2012 दि०-17.10.2012 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं०-349/XVIII(II)/2009-9(67)/2008 दि०-5.2.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै० सत्यदेव हास्पिटैलिटी प्रा०लि०, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को ग्राम ढिकुली, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल में पर्यटन परियोजना (रिसोर्ट का संचालन) के लिए आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खाता/खसरा संख्याओं के अधीन 1.772 है० भूमि/भवन क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003, दिनांक 15-1-2004 की धारा—154(4)(3)(क)(II) के अन्तर्गत एवं तत्क्रम में एम०ए०न०सी० इन्टरनेशनल लि० ग्राम ढिकुली, रामनगर, जनपद नैनीताल को उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति उक्त अधिनियम की धारा 154(4)(3)(ख) के अंतिम परन्तुक के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1— केता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— केता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (पर्यटन प्रयोजन हेतु रिसोर्ट का संचालन) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा—167 के परिणाम लागू होंगे।

- 4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6— शासन द्वारा दी गई भूमि क्य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7— यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि क्य हेतु प्रस्तावित भूमि समर्त वर्जनाओं से विमुक्त है तथा संबंधित भूमि के क्य में किसी भूमि संबंधी कानून विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है।
- 8— सम्बन्धित क्षेत्र/भूमि की भूगर्भिक दशा एवं परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण के पर्यावर्णीय प्रभाव के अध्ययन/आंकलन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही
- 9— सम्बन्धित भूमि व उस पर प्रस्तावित निर्माण के सन्दर्भ में वन संरक्षण अधिनियम/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एफ०ए०आर० रूल्स अथवा अन्य कोई अधिनियम/नियम लागू होने/न होने तथा प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी किन्ही विनियमों के परिप्रेक्ष्य में वांछित कार्यवाही/अनुपालन सम्बन्धित निवेशक/फर्म द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10— परियोजना प्रस्ताव में दर्शित इकाई के डिजाइन, आकार/प्रकार, निवेश सीमा, सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाई में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।
- 12— इकाई के कैम्पस के अन्तर्गत पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- 13— यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि भूमि क्य एवं उस पर पर्यटन इकाई की स्थापना तथा इकाई द्वारा जल व अन्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने पर स्थानीय समुदाय/पंचायत को कोई आपत्ति न हो।
- 14— परियोजना प्रस्ताव में दर्शित इकाई के डिजाइन, आकार/प्रकार, निवेश सीमा सुनिश्चित किया जाएगा।
- 15— स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाई में सृजित होने वाले रोजगार के अवसरों में से 70 प्रतिशत पर उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान किया जायेगा।
- 16— किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 17— भूमि का विक्य अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्य किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

18— योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी ।

19— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे ।

20— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जनपद स्तर से निर्गत होने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डी०एस० गव्याल)
सचिव ।

प०प०सं०२०८० / समृद्धिनांकित 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 2— सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 3— अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 4— आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल ।
- 5— श्री पंकज कश्यप, निदेशक, मै० सत्यादेव हास्पिटैलिटी लि�०, के०ए० 74, कौसाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
- 6— श्री मान सिंह, पुत्र श्री तुला राम, 115 सेक्टर 4, फरीदाबाद, हरियाणा ।
- 6— निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय ।
- 7— प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय ।
- 8— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,


(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव ।

प्रेषक,

डी०एस० गर्वाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

उज्ज्वल अनुभाग—2

देहरादून: दिनांक: // फरवरी, 2013

विषय:—मै० ओरिफ्लेम इण्डिया प्रा० लि० कनाट प्लेस, नई दिल्ली को ग्राम पुहाना मुस्तहकम परगना भवानपुर तहसील, रुडकी जनपद हरिद्वार में औद्योगिक प्रयोजन (सौन्दर्य प्रसाधन के निर्माण) हेतु 0.5718 है० भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या—118/जि०भ०व्यव०—2011—12 दिनांक—18 अगस्त, 2012 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै० ओरिफ्लेम इण्डिया प्रा०लि० कनाट प्लेस, नई दिल्ली को औद्योगिक प्रयोजन (सौन्दर्य प्रसाधन के निर्माण) हेतु ग्राम पुहाना, मुस्तहकम परगना भवानपुर, तहसील रुडकी जिला, हरिद्वार में 0.5718 है० भूमि क्य की अनुमति, उत्तराखण्ड राज्य जर्मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपाय आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(c)(f)(V) के अन्तर्गत, औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति एवं आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:

1— केता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (सौन्दर्य प्रसाधन के निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन

हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की रिस्तति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6— शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7— क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु, फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सीड़ा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9— आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10— इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग फार्मा उत्पादों के विनिर्माणक हेतु ही किया जायेगा।

11— इस भूमि पर उद्योग की स्थापना में भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों/सुविधाओं का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

12— प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

13— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू—उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

14— किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

15— भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

प्रस.	
1	NA
दक्षतास्तर	W
PA	C

16— योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

17— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत रवीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गर्वाल)
सचिव।

पृ०प०सं०- ५०४ /समिनांकित/2013

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4— निदेशक, ओरिफ्लेम इण्डिया प्राइलि० 29-34, रिडायल-6, आउटर सर्किल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।
- 5— श्री सचिन मित्तल, निदेशक मै० नीड्स फार्मा प्राइलि० नि०-303 शिवलोक जानसठ रोड, नई मण्डी, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश।
- 6— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7— प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
- 8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सन्तोष बंडोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: २५ दिसम्बर, 2011

विषय—इम्प्रेशन एजुकेशनल सोसायटी, अघोर्वाला, देहरादून को ग्राम ईस्ट होप टाउन में
कुल 2.583 हेक्टर की भूमि के विकाय की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या— 131-12 ए (2008-2011) डी०एल०आर०सी०
दिनांक 10-5-2011, शासनादेश सं०-41/भूक्य/18(1)/2004 दि०-7.1.2005 एवं
अध्यक्ष, इम्प्रेशन एजुकेशनल सोसायटी, अघोर्वाला, देहरादून के प्रार्थना पत्र दिनांक
1-12-2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि उच्च शिक्षा विभाग के
नवीन मानकों के अनुरूप प्रश्नगत भूमि पर प्रश्नगत प्रयोजन की पूर्ति किया जाना सम्भव
नहीं है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त संस्था द्वारा पूर्व में
काय की गई उक्त 2.583 हेक्टर भूमि को इस शर्त के साथ कि भूमि का विकाय/उपयोग
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(4)(3)(ख) के परन्तुक के अधीन
किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा अर्थात् भूमि का उपयोग शैक्षणिक
प्रयोजन के लिए ही किया जा सकेगा, विकाय किए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से
शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ०प०सं०-१३१/ समदिनांकित / 2011

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. श्री डी०एल० कालरा अध्यक्ष, 16 इम्प्रेशन एजुकेशनल सोसायटी अघोर्वाला देहरादून
5. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,


(सन्तोष बलोनी)
अनुसचिव।

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: ०९ दिसम्बर, 2011
विषय—मैं नीलकण्ठ वेबरेजेज प्राप्ति द्वारा तहसील रुड़की के ग्राम कुलचन्दी में
औद्योगिक प्रयोजनार्थ क्य की गई कुल 0.3413 हैं को अपरिहार्य कारणों से विक्षय
किए जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश सं-218/भूक्य/18(1)/2006 दि-08.12.
2006, शासनादेश सं-674/18(2)/2009 दि-22.7.2009 एवं निदेशक, नीलकण्ठ वेबरेजेज प्राप्ति के प्रार्थना पत्र दि-08.8.2011, पत्र दि-23.11.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि आवेदक की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहित से प्रभावित हो गई है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त संस्था द्वारा पूर्व में क्य की गई उक्त भूमि को विक्षय किए जाने की निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करते हैं:-

1. भूमि का विक्षय/उपयोग जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(4)(3)(ख) के परन्तुक के अधीन किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा अर्थात् भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए ही किया जा सकेगा।
2. आवेदक के प्रस्तावानुरूप उत्तराखण्ड के खातेदारों के पक्ष में भूमि क्य की अनुमति दी जा रही है।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पू०प०सं०— /समदिनांकित/ 2011

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 2. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 3. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 5. निदेशक, मैं नीलकण्ठ वेबरेजेज प्राप्ति, कृष्णा अपरा प्लाजा, ग्राउण्ड फ्लोर 12 व 14 पी 3, सेक्टर 18, नोएडा-201301
 6. निदेशक, एनोआईसी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।